Date- 25/04/2020

Sociology(Gen/Sub.), Part-II, Paper-II, Unit-5, Problem of Child Labour: Meaning, Problem; Dr. Pramod Gandhi, Lecture series no.-1

बाल–श्रम

किसी भी देश में बच्चों की स्थिति से उस देश की प्रगति और सामाजिक सांस्कृतिक स्तर का पता चलता है बचपन एक ऐसी स्थिति है जब बच्चे को सबसे अधिक सहायता, प्रेम, देखभाल और सुरक्षा की जरूरत होती है। ऐसे में बालश्रम किसी भी देश और समाज के लिए घातक और शर्म की बात है।

बालश्रम समस्या वर्तमान में हमारे देश की ज्वलंत समस्याओं में से एक है 'बालश्रमिक' हमारी व्यवस्था, समाज व संवेदना की उस नकारात्मक शोषणवादी मानसिकता का ही मूर्त रूप है, जो स्वार्थ व दोहरी विचारधारा की तथाकथित परिणति है। यह विचारधारा सभ्य आर्थिक प्रगति से स्वयं को जोड़ने में गौरवान्वित महसूस करती है साथ ही साथ गरीबी, अन्याय व स्वयं शोषणकारी अवस्थाओं को उत्पन्न करने का कारण है। बाल श्रमिकों के रोजगार का सबसे खास कारण गरीबी है। ऐसा श्रम सस्ता भी होता है जिसमें सेवायोजक बच्चों का शोषण करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। फिर से सेवायोजक, बालश्रमिक को लाभदायक मानते हैं क्योंकि बाल–श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी बहुत कम होती है, और कई उद्योग व व्यवसायों में तो वे वयस्क के बराबर कार्य करते हैं इसलिए सेवायोजक अपने स्वार्थ हेतु बालकों का शोषण करने में संकोच नहीं करते और उनके स्वास्थ्य तथा व्यक्तित्व के प्रति सचेत नहीं रहते हैं।

परिभाषा

किसी उद्योग, खान, कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम आयु के मानसिक और शारीरिक श्रम करने वाले बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं। बालश्रमिक निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 के अनुसार ''बाल श्रमिक से ऐसा बालक अभिप्रेरित है जिसने अपनी आयु 14 वर्ष की नहीं है।'' भारत के संविधान के अनुसार, ''जहां 5 से 14 वर्ष के बीच के बालक /बालिका जो वैतनिक श्रम करते हैं या श्रम द्वारा पारिवारिक कर्ज चुकाते हैं बाल श्रमिक कहलाते हैं।'' संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनुसार, ''18 वर्ष से कम आयु का श्रमिक बाल श्रमिक है।'' अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, ''बालश्रम की उम्र 15 वर्ष निर्धारित की है।

भारत में बालश्रम की समस्या

बाल श्रमिकों की समस्या विश्व के प्रत्येक कोने में व्याप्त है। भारत में यह समस्या औद्योगिक क्रान्ति के समय से ही व्याप्त है। बाल श्रमिक को एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई और राष्ट्रीय बर्बादी के रूप में माना जाता है क्योंकि परिवार के निर्वाह के लिए मजदूरी कमाने की आर्थिक जरूरत बालकों की शिक्षा एवं मनोरंजन के मौके नहीं मिलने देती। उसके शारीरिक और मानसिक विकास को रोकती है। उसके व्यक्तित्व के मान्य विकास में रूकावट डालती है तथा वयस्क जिम्मेदारी के लिए उसके तैयार होने में रोड़े अटकाती है। वास्तव में बालश्रमिकों की समस्या एक मत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक व राष्ट्रीय समस्या है। बाल श्रम को प्रभावित करने की कुछ अन्य समस्याएं भी व्याप्त हैं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है, ये अन्य समस्याएं निम्नलिखित हैं–

1. **बचपन विनाश की समस्या**– बालकों को कच्ची उम्र में ही कठोर और दुसाध्य कार्यों पर लगा दिया जाता है जो उसकी क्षमता से बाहर होता है। बचपन में शरीर और मन दोनों ही कोमल होते हैं जो कठोर कार्यों में लगाने से नष्ट हो जाते हैं ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विकास में बाधक होती है।
2. **अनुपयुक्त दशाओं में कार्य करना**– लगभग सभी उद्योगों/कारखानों में दूषित व अत्यन्त ही दयनीय दशाओं में कार्य करना होता है जिससे वे शीघ्र ही रोगग्रस्त व अस्वस्थ हो जाते हैं।

DR. P. GANDHI

3. **शिक्षा से वंचित**– बचपन से ही बालक क रोजगार में लग जाने के कारण वह शिक्षा के अवसर से वंचित हो जाता है। इससे वह अपने व्यक्तित्व विकास के समस्त अवसरों को खो बैठता है। इससे न केवल वह स्वयं नुकसान उठाता है बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या का जन्म होता है।
4. **अनुपयुक्त कार्यदशाएं**– बाल श्रमिको को विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। बालश्रमिकों को अत्यन्त ही खराब हालातों में कार्य करना पड़ता है। उनके कार्य करने के घंटे मजदूरी एवं छुट्टी के संबंध में कोई निश्चित स्थिति नहीं है, नाममात्र मजदूरी देकर लम्बे समय तक उनसे कार्य लिया जाता है।
5. **कानून का कठोरता से लागू न होना**– यद्यपि सरकार ने बाल श्रमिकों के संबंध में कुछ कानून बनाए हैं लेकिन उनकी अनुपालना कठोरता से नहीं की जाती है, फलतः बालश्रम का समुचित नियमन नहीं हो रहा है।
6. **अन्य समस्याएं** जैसे–
   (क) निर्धनता एवं ऋण ग्रस्तता
   (ख) बेकारी की समस्या
   (ग) सामाजिक सुरक्षा की समस्या

बालश्रम के कारण

बालश्रम की समस्या एक सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय समस्या है । बालक/ बालिकाओं को श्रम पर रखे जाने के अनेक कारण हैं लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

1. **वयस्क श्रमिक की कमाई का नीचा स्तर**– औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी बहुत कम है। घर की आर्थिक दशा खराब होने के कारण बच्चों को अतिरिक्त आमदनी के दृष्टिकोण से रोजगार में लगाया जाता है।
2. **उपयुक्त योजना का अभाव**– देश में राज्य द्वारा चलाई गई किसी ऐसी योजना का न होना जो गरीब माता–पिताओं को अपने बच्चों के लिए ठीक और संतुलिम भोजन तथा रहन–सहन दशाएं तैयार करने में सहायक हो;
3. **बाल–श्रम कानून पालन में ढिलाई**–मौजूदा कानून का पालन करने में ढिलाई, निरीक्षण व्यवस्था कम होना आदि;
4. **गरीबी**–बाल–श्रमिकों को रोजगार का सबसे खास कारण गरीबी है
5. **अत्यधिक बाल–श्रम संख्या**– ऐसा श्रम संख्या भी होता है जिसमें सेवायोजक बच्चों का शोषण करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
6. **पारिवारिक भत्ते की योजना का अभाव**– पाश्चात्य देशों में जहां सामाजिक सुरक्षा की प्रणाली पूर्णरूपेण विकसित है, वहां प्रत्येक परिवार को बच्चों के लिए भत्ते की प्रणाली का अभाव रहा है।
7. **बच्चों के लिए सामान्य शिक्षा योजना का अभाव**– निर्धन तथा अव्यवस्थित परिवारें के बच्चों के लिए कोई शिक्षा योजना नहीं है इसके अन्तर्गत बच्चों के लिए स्कूलों में जाकर शिक्षा पाना अनिवार्य किया जा सके।
8. **सुरक्षात्मक श्रम विधान का मन्द विकास**– भारत में सुरक्षात्मक श्रम विधान का विकास भी काफी विलम्ब से हुआ। कृषि तथा छोटे पैमाने के उद्योगों में अभी तक किसी प्रकार की सुरक्षात्मक व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त जिन उद्योगों में सुरक्षात्मक व्यवस्था लागू है वहां भी राजकीय कानूनों का उचित रूप से पालन नहीं किया जाता है।

DR. P. GANDHI